

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 404/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

गीता पत्नि रामस्वरूप भीणा निवासी खेड़ी जीवराजपुरा तहसील शाहपुरा

बनाम

प्रार्थिया

1. नगेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी नाथड़ियास तहसील फूलियाकलां
2. खाना पिता कल्याण कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
3. उगमा पिता कल्याण कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
4. छोटू मुतबन्ना गोकल कुम्हार निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
5. बदरी पिता मांगू कुमावत निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
6. कल्याण पिता मांगू कुमावत निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
7. रामधन पिता मांगू कुमावत निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
8. तेजू पिता जगदीश दरोगा निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
9. रामेश्वरलाल पिता जगदीश दरोगा निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां
10. जयसिंह पिता जगदीश दरोगा निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां

निर्णय

विपक्षीगण

दिनांक 17.06.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाथड़ियास तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 106 के आराजी नम्बर 373 रकबा 1.21 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 1.21 है0 का प्रार्थिया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।



प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम नाथड़ियास संवत 2069 से 2072 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थिया खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नाथड़ियास में स्थित प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 1.21 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 250/- रुपये (अक्षरे दो सौ/पचास रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थिया से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा
फूलियाकलां

(12) क

राजेन्द्र शर्मा